न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं. 03, गोण्डा।

सत्र परीक्षण संख्या 278/2022

राज्य बनाम शत्रुधन सिंह आदि .

दिनांकः 23.05.2022

पुकार कराई गयी। अभियुक्तगण शत्रुधन सिंह, छेदी लाल व अनीता जिला कारागार से जेरे हिरासत उपस्थित। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व विद्वान अधिवक्ता अभियोजनपक्ष तथा विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष उपस्थित तथा अभियुक्ता की तरफ से न्यायमित्र उपस्थित। उभयपक्ष की तरफ से विद्वान अधिवक्तागण को आरोप पर सुना गया। बचावपक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र–8ख अभियुक्त छेदीलाल एवं प्रार्थनापत्र–15ख अभियुक्त शत्रुधन की ओर को धारा 302, 307, 120बी, भा.दं.सं. एवं धारा–7 सी0एल0ए0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप में डिस्चार्ज किए जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया। उक्त डिस्चार्ज प्रार्थना पत्रों पर पूर्व तिथि पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना जा चुका है। पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 8ख व 15ख पर आदेशार्थ नियत है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं0 8ख व कागज सं0 15ख

अभियुक्त छेदीलाल की ओर से प्रार्थनापत्र–8ख वास्ते डिस्चार्ज इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मुकदमे मे अभियोजन पक्ष के अनुसार दिनांक 24.11.2021 को शाम 06.00 बजे वादिनी मुकदमा तथा उसके ससुर देवी प्रसाद, सास पार्वती देवी, ननद सिम्पा व उपासना सभी लोग घर पर थे उसी समय (अकेला) कथित अभियुक्त अशोक कुमार अपने साथ तलवार चाकू, डण्डा रिवाल्वर लेकर घर मे घुस गया और कहा कि वह सिम्पा से शादी करना चाहता है, परिवार के लोगों ने कहा कि जबरदस्ती शादी नही होती। इसी बात से नाराज होकर उसके सास, ससुर व ननद के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। वह अपने बच्चे की जान बचाने के लिए छत पर छिप गयी और शोर करने लगी। अशोक कुमार घटना कारित करके भाग गया। उक्त घटना की रिपोर्ट वादिनी ने दिनांक 24.11.2021 को 23.17 पर स्थानीय थाने पर दर्ज करवायी। चूंकि उक्त घटना मे देवी प्रसाद तथा पार्वती देवी तथा सिम्पा की मृत्यु हो गयी और उपासना जोकि घायल थी उन्हे हास्पिटल मे भर्ती कराया गया और मुकदमा धारा 302, 307 भा0दं0सं0 तथा 7 आ0 कानून 'संशोधन' अधिनियम मे दर्ज किया गया। चूंकि उक्त कथित आरोपी अशोक बार घटना के दिन से ही फरार चल रहा है अभी तक गिरफ्तार नही हो सका है जिससे पुलिस वालों पर काफी दबाव पड़ने लगा और समाज मे पुलिस की बदनामी होने लगी। इससे बचने के लिए पुलिस ने अशोक पर एक लाख रूपये का इनाम भी घोषित कर दिया किन्तु तब भी अशोक को नही पकड़ सके तो खानापूर्ति करने के लिए अशोक के रिश्तेदारों व दोस्तों को जोकि बेगुनाह है, उन्हे पकड़कर जेल मे बन्द कर दिया जिसमे प्रार्थी को भी दिनांक 09.12.2021 को उसके घरग्राम अरखा थाना उंचाहार जिला रायबरेली से पकड़ ले आयी और बन्दकर

दिया और प्रार्थी पर धारा 120बी भा0दं0सं0 का आरोप लगाया। प्रार्थी ग्राम पंचायत सराय परसू विकास खण्ड ऊंचाहार, जनपद रायबरेली मे सफाई कर्मचारी का कार्य करता है और प्रार्थी 01 नवम्बर 2021 से 08 दिसम्बर 2021 तक लगातार अपनी ड्यूटी पर मौजूद था हाजिरी रजिस्टर की प्रमाणित फोटो कापी तथा प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी दाखिल है। यद्यपि अशोक कुमार प्रार्थी का साला है परन्तु विगत दस वर्षों से प्रार्थी व उसके ससुराल पक्ष के मध्य मनमुटाव के कारण आपस मे बोल चाल व आना जाना नही है। प्रार्थी का अशोक कुमार अथवा ससुराल पक्ष से कोई सम्बन्ध नही है। दिनांक 08.12.2021 की शाम को लगभग 07.00 बजे प्रार्थी के परिवारजनों व उसके पड़ोसियों के सामने ही गोण्डा कोतवाली नगर की पुलिस व थाना ऊंचाहार जिला रायबरेली की पुलिस प्रार्थी के घर आयी और प्रार्थी से कहा कि हमारे साथ चलो, कोतवाली साहब ने तुम्हें कुछ पूंछ ताछ के लिए बुलाया है जिस पर प्रार्थी विश्वास करके उनके साथ चला गया जहां से गोण्डा कोतवाली नगर की पुलिस उसे गोण्डा ले आयी और दिनांक 09.12.2021 को मुकदमा कायम करके उसे जेल भेजवा दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रार्थी न तो हत्या करने मे शामिल था और न ही चोटें पहुंचाने मे शामिल था। प्रार्थी पर केवल अशोक कुमार को बचाने व छिपाने का आरोप लगाया गया है जोकि धारा 120बी भा0दं0सं0 का अपराध बताया गया है किन्तु पूरी विवेचना मे विवेचनाधिकारी ने जो साक्ष्य एकत्र किये है उससे भी धारा 120बी भा0दं0सं0 का अपराध नही बनता केवल प्रार्थी को मुकदमे मे फंसाने के लिए मनगढंत आरोप लगाया गया है। प्रार्थी घटना से पूर्व अथवा उसके बाद भी तनहा अभियुक्त अशोक कुमार से कभी नही मिला और न ही वह कभी गोण्डा आया और न ही किसी प्रकार से उसकी मदद की है। विवेचना के दौरान विवेचक को ऐसा कोई बयान नही दिया है और न ही प्रार्थी की पत्नी ने ही उससे कभी अशोक कुमार की मदद करने को कहा है न ही प्रार्थी के पास कोई कागज या वस्तु बरामद हुयी है जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रार्थी अशोक कुमार की मदद करने मे शामिल था तथा घटना मे चोटहिल बयान गवाह मजरूबा उपासना ने विवेचक को दिये बयान मे भी केवल अनीता के बारे मे आरोप लगाया है किन्तु प्रार्थी के विरूद्ध कोई आरोप नही लगाया है तथा आरोपी अशोक कुमार की एक अन्य बहन वन्दना जोकि घटना के समय मौके पर वहां उपस्थित नही थी और मजरूबा उपासना का इलाज जब के0जी0एम0यू0 लखनऊ मे चल रहा था तो वह अपनी बहन उपासना की तीमारदारी मे दिनांक 24.11.2021 से 18.12.2021 तक लगी हुयी थी उसने अपने बयान मे प्रार्थी का नाम लिया है किन्तु वन्दना स्वयं घटना स्थल पर मौजूद नही थी और उसकी बहन उपासना ने भी उसे प्रार्थी का भी घटना मे शामिल होना नही बताया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि विवेचक ने वन्दना के बयान मे प्रार्थी का नाम अपने मन से लिख लिया है और फर्जी तरीके से फंसा दिया है। अतः उपरोक्त कथनों एवं पत्रावली मे शामिल साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी को उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र 8ख के विरूद्ध आपत्ति पत्र 18ख

प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि दौरान विवेचना अभियुक्त छेदीलाल के विरूद्ध अभियुक्त को इस घटना को कारित करने व सहयोग करने तथा घटना के बाद मुख्य अभियुक्त अशोक कुमार को बचाने का साक्ष्य विवेचक द्वारा संकलित किया गया है। अभियुक्त छेदीलाल मुख्य अभियुक्त अशोक कुमार का सगा बहनोई है जो ग्राम अरखा थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली का रहना बताया गया है कि गिरफ्तारी अभियुक्त अशोक कुमार के रेलवे कालोनी मे स्थित आवास के पास से की गयी है तथा यह भी साक्ष्य मे आया है कि वह मुख्य अभियुक्त अशोक कुमार का बहनोई होने के नाते इस घटना को कारित करने मे सहयोग किया एवं घटना के पूर्व साजिश किया। साक्ष्य संकलन व अभियुक्त छेदीलाल के बयान मे यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि वह अशोक कुमार के सरकारी आवास मे रखे हुए कुछ आवश्यक कागजात को अशोक कुमार के कहने पर ही लेने आया था जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त छेदीलाल को इस घटना की योजना बनाने व घटना कारित करने की पूरी जानकारी थी तथा अभियुक्त अशोक कुमार को घटना कारित करने के बाद बचाने की स्पष्ट भूमिका परिलक्षित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था है कि किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध मात्र संदेह के आधार पर आरोप विरचित किया जा सकता है जबकि इस प्रकरण मे अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत उन्मोचन मात्र सत्र वाद की कार्यवाही को विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है जो बलहीन होने के कारण प्रत्येक दशा मे निरस्त होने योग्य है। अतः आपत्ति पत्र स्वीकार करके अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 8ख बावत उन्मोचन निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त शत्रुधन सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र–15ख वास्ते डिस्चार्ज इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वादिनी मुकदमा द्वारा लिखाये गये प्रथम सूचना रिपोर्ट मे प्रार्थी नामित अभियुक्त नही है और वाद मे पुलिस द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्त बनाया गया है। यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रार्थी के द्वारा कोई घटना नही कारित की गयी है। दिनांक 24.12.2021 को सिम्पा, देवी प्रसाद और पार्वती व उपासना के ऊपर हमला करने का साक्ष्य अभियुक्त अशोक के विरूद्ध है जोकि अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस ने अपनी अकुशलता छिपाने के लिए प्रार्थी को अभियुक्त बनाया तथा प्रार्थी को हत्या के षड्यंत्र मे शामिल होना बताया। आपराधिक षड्यंत्र के लिए यह आवश्यक है कि दो व्यक्तियों के बीच कोई अवैधानिक व अपराधिक कार्य करने का समझौता हो और उसे प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सके। प्रस्तुत प्रकरण मे प्रार्थी के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नही है और जिन वस्तुओं की बरामदगी पुलिस द्वारा दिखायी जा रही है वह सभी उपकरण अभियुक्त अशोक कुमार के है। प्रार्थी पूर्वोत्तर रेलवे मे ट्रैक मेण्टेनर के पद पर कार्य करा रहा था उसका उत्तम सेवा रिकार्ड है तथा उसका चयन हाल मे गणित टीचर के पद पर हो गया था। प्रार्थी एक नवयुवक है और जेल मे रहने से उसका भविष्य समाप्त हो जायेगा। पत्रावली पर प्रार्थी के विरूद्ध आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध

नही है। अतः प्रार्थी को उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र 15ख के विरूद्ध आपत्ति पत्र 17ख प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि पत्रावली मे संलग्न रसीद फ्लिप कार्ट कागज सं0 5/37 लगायत 5/39 से स्पष्ट है कि उपरोक्त वाद मे मुख्य अभियुक्त अशोक कुमार ने एक PYTHON METAL GUN प्राप्त किया था और उस गन का प्रयोग उसने घटना कारित करने मे किया था जिसके बावत चोटहिल साक्षी उपासना आनन्द कुमार ने अपने 161दं0प्र0सं0 के बयान मे बताया है जिसकी अंकना सी0डी0 4 मे है। विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य तथा बयानात के आधार पर शत्रुधन सिंह की संलिप्तता इस घटना मे पाते हुए उसकी गिरफ्तारी दिनांक 27.11.2021 को किया और शत्रुधन को मुख्य अभियुक्त अशोक कुमार घटना के उपरान्त दी गयी वस्तुओ को अपनी निशानदेही पर बरामद कराया था इस प्रकार अभियुक्त शत्रुधन सिंह की संलिप्तता व उसके द्वारा किया गया षड्यन्त्र स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। विवेचक द्वारा सर्विलांस सेल से प्राप्त सी0डी0आर0 के अनुसार शत्रुधन सिंह व अशोक कुमार के मध्य घटना दिनांक, व उसके नजदीक की तिथियों मे बात करना पाया गया जो इस अपराध मे शत्रुधन सिंह की संलिप्तता स्पष्टतः प्रदर्शित करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था है कि किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध मात्र संदेह के आधार पर आरोप विरचित किया जा सकता है जबकि इस प्रकरण मे अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत उन्मोचन मात्र सत्र वाद की कार्यवाही को विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है जो बलहीन होने के कारण प्रत्येक दशा मे निरस्त होने योग्य है। अतः आपत्ति पत्र स्वीकार करके अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 15ख बावत उन्मोचन निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थनापत्र–8ख व 15ख पर बचावपक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्तागण द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादिनी मुकदमा द्वारा लिखाये गये प्रथम सूचना रिपोर्ट मे प्रार्थीगण/अभियुक्तगण नामित अभियुक्त नही है और बाद मे पुलिस द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्त बनाया गया है। यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा कोई घटना नही कारित की गयी है। दिनांक 24.12.2021 को सिम्पा, देवी प्रसाद और पार्वती व उपासना के ऊपर हमला करने का साक्ष्य अभियुक्त अशोक के विरूद्ध है। चूंकि उक्त कथित आरोपी अशोक बार घटना के दिन से ही फरार चल रहा है अभी तक गिरफ्तार नही हो सका है जिससे पुलिस वालों पर काफी दबाव पड़ने लगा और समाज मे पुलिस की बदनामी होने लगी। इससे बचने के लिए पुलिस ने अशोक पर एक लाख रूपये का इनाम भी घोषित कर दिया किन्तु तब भी अशोक को नही पकड़ सके तो खानापूर्ति करने के लिए अशोक के रिश्तेदारों व दोस्तों को जोकि बेगुनाह है, उन्हे पकड़कर जेल मे बन्द कर दिया जिसमे प्रार्थी/अभियुक्त छेदीलाल को भी दिनांक 09.12.2021 को उसके घरग्राम अरखा थाना उंचाहार जिला रायबरेली से पकड़ ले आयी और बन्दकर दिया और प्रार्थी पर धारा 120बी भा0दं0सं0 का आरोप लगाया। पुलिस ने अपनी अकुशलता छिपाने के लिए प्रार्थी

शत्रुधन को अभियुक्त बनाया है तथा प्रार्थी को हत्या के षड्यंत्र मे शामिल होना बताया। आपराधिक षड्यंत्र के लिए यह आवश्यक है कि दो व्यक्तियों के बीच कोई अवैधानिक व अपराधिक कार्य करने का समझौता हो और उसे प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सके। प्रस्तुत प्रकरण मे प्रार्थी के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नही है और जिन वस्तुओं की बरामदगी पुलिस द्वारा दिखायी जा रही है वह सभी उपकरण अभियुक्त अशोक कुमार के है। प्रार्थी पूर्वोत्तर रेलवे मे ट्रैक मेण्टेनर के पद पर कार्य करा रहा था उसका उत्तम सेवा रिकार्ड है। अभियुक्ता अनीता मुख्य अभियुक्त अशोक कुमार की बहन है जिसे बिना किसी साक्ष्य के इस मामले मे सह अभियुक्त नामित किया गया है। विवेचक द्वारा बिना पर्याप्त साक्ष्य के प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया। विवेचक द्व ारा की गयी विवेचना मे अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध कोई अपराध नही बनता है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त को उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजनपक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि बचावपक्ष की ओर से उठाये गये सभी बिन्दु और तर्क निराधार हैं। दौरान विवेचना अभियुक्त छेदीलाल के विरूद्ध अभियुक्त को इस घटना को कारित करने व सहयोग करने तथा घटना के बाद मुख्य अभियुक्त अशोक कुमार को बचाने का साक्ष्य विवेचक द्वारा संकलित किया गया है। अभियुक्त छेदीलाल मुख्य अभियुक्त अशोक कुमार का सगा बहनोई है जो ग्राम अरखा थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली का रहना बताया गया है कि गिरफ्तारी अभियुक्त अशोक कुमार के रेलवे कालोनी मे स्थित आवास के पास से की गयी है तथा यह भी साक्ष्य मे आया है कि वह मुख्य अभियुक्त अशोक कुमार का बहनोई होने के नाते इस घटना को कारित करने मे सहयोग किया एवं घटना के पूर्व साजिश किया। पत्रावली मे संलग्न रसीद फ्लिप कार्ट कागज सं0 5/37 लगायत 5/39 से स्पष्ट है कि उपरोक्त वाद मे मुख्य अभियुक्त अशोक कुमार ने एक PYTHON METAL GUN प्राप्त किया था और उस गन का प्रयोग उसने घटना कारित करने मे किया था जिसके बावत चोटहिल साक्षी उपासना आनन्द कुमार ने अपने 161दं0प्र0सं0 के बयान मे बताया है। विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य तथा बयानात के आधार पर शत्रुधन सिंह की संलिप्तता दर्शित है। अभियुक्त शत्रुधन सिंह को मुख्य अभियुक्त अशोक कुमार घटना के उपरान्त दी गयी वस्तुओ को अपनी निशानदेही पर बरामद कराया था इस प्रकार अभियुक्त शत्रुधन सिंह की संलिप्तता व उसके द्वारा किया गया षड्यन्त्र स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। अभियुक्त अशोक कुमार ने इस घटना से ठीक पूर्व अपने खाते से अपनी बहन अनीता के खाते मे योजनाबद्ध तरीके से मु0–80,000/–रूपये ट्रांसफर किये और ढाई लाख रूपये कैस निकाला और योजनाबद्ध तरीके से उक्त पैसा बाद मे इस्तेमाल करने की नियत से अभियुक्ता अनीता के खाते मे ट्रांसफर किया गया है जोकि इनके अभियुक्त अशोक कुमार के साथ षडयंत्र मे शामिल होने का स्पष्ट प्रमाण है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

पारित विधि व्यवस्था है कि किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध मात्र संदेह के आधार पर आरोप विरचित किया जा सकता है जबकि इस प्रकरण मे अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत उन्मोचन मात्र सत्र वाद की कार्यवाही को विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है जो बलहीन होने के कारण प्रत्येक दशा मे निरस्त होने योग्य है। अतः उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा उक्त तर्को के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि वादिनी मुकदमा द्वारा थाना कोतवाली नगर जिला गोण्डा मे इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत की गयी कि घटना दिनांक 24.11.2021 को शाम करीब 06.00 बजे की है। वह तथा उसके ससुर देवी प्रसाद, सास श्रीमती पार्वती देवी, उसकी ननद सिम्पा व उपासना सभी लोग घर पर थे उसी समय अशोक कुमार पुत्र रामहेतु उसके घर मे आकर घुस गये। उसके पास तलवार, चाकू, डण्डा व रिवाल्वर था। आते ही इन लोगो से कहा कि वह सिम्पा से शादी करना चाहता है, आप लोग सिम्पा से शादी करोगे कि नही करोगे तब वादिनी मुकदमा के ससुर ने कहा कि इस तरह जबरदस्ती शादी नही होती है तब अशोक ने कहा कि अगर उसकी शादी सिम्पा से नही करोगे तो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। इन सभी लोगो ने कि आप यहां से चले जाओ तब उसने अपने हाथ मे लिए तलवार, चाकू और डण्डे से उसके ससुर, सास व ननद पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया तब ये सभी चिल्लाने लगे। अशोक ने उसके सास, ससुर व ननद को तलवार व चाकू से काट दिया। वह अपने बच्चे की जान बचाने के लिए भागकर छत पर जाकर छिप गयी और जोर जोर से चिल्लाने लगी और पड़ोसियों को बुलाने लगी। इतने मे अशोक कुमार घटना कारित करके भाग गया। उसका शोर सुनकर आस पास के लोग और पुलिस चारो लोगों को अस्पताल ले गये। डाक्टर ने उसके ससुर देवी प्रसाद, सास श्रीमती पार्वती व ननद सिम्पा की मृत्यु हो जाना बताया। ननद उपासना को काफी चोटें लगी थी जिन्हे डाक्टर ने लखनऊ के लिए रिफर कर दिया।

वादी मुकदमा द्वारा दी गयी उक्त आशय की लिखित सूचना के आधार पर थाना–कोतवाली नगर जिला गोण्डा मे दिनांक 24.11.2021 को समय 23.17 बजे मुकदमा अपराध संख्या 839/2021, धारा–302, 307 भा0दं0सं0 व 7 क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त अशोक कुमार के विरूद्ध पंजीकृत की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 120बी भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियुक्तगण शत्रुधन सिंह, छेदीलाल व अनीता की उक्त घटना मे संलिप्तता व इनके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए विवेचक द्वारा धारा 302, 307, 120बी भा0दं0सं0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट मे आरोप पत्र अभियुक्तगण शत्रुधन सिंह, छेदीलाल व अनीता के विरूद्ध प्रेषित किया गया। उक्त मुकदमे के मुख्य अभियुक्त अशोक कुमार की गिरफ्तारी शेष है जिसके बावत विवेचना प्रचलित है।

केस डायरी पर उपलब्ध संकलित साक्ष्य से उक्त तीनों अभियुक्तगण की इस घटना मे मुख्य अभियुक्त अशोक कुमार के साथ इस घटना से पूर्व की परिस्थितियों के आधार पर संलिप्तता होना दर्शित किया गया है। अभियुक्ता अनीता जोकि मुख्य अभियुक्त अशोक कुमार की सगी बहन है, के खाते मे घटना से पूर्व 01.11.2021 तथा घटना के दिन 24.11.2021 को अपने बैंक खाते से कुल मु0–80,000/–रूपये ट्रांसफर किये गये है। अभियुक्त शत्रुधन के सम्बन्ध मे विवेचक द्वारा अभियुक्त के मोबाइल नं0–6393120398 से अभियुक्त शत्रुधन के मोबाइल नं0 8858756403 पर की गयी वार्ता की कॉल डिटेल रिपोर्ट निकलवायी गयी जिसमे घटना से ठीक पूर्व दिनांक 21.11.2021, 23.11.2021, घटना के दिनांक 24.11.2021 को की गयी कॉल तथा 25.11.2021 को एस.एम.एस. किये जाने का उल्लेख है। दिनांक 24.11.2021 को उक्त कॉल 11.45 बजे की गयी है तथा घटना के अगले दिन अभियुक्त के फोन नम्बर पर 03 एस.एम.एस. किया जाना दर्शित है तथा अभियुक्त की निशानदेही पर अभियुक्त के मकान के कबाड़रूम से अभियुक्त अशोक द्वारा घटना मे प्रयुक्त सामग्री व अभियुक्त अशोक का अन्य सामान बरामद हुआ है जिसकी फर्द बरामदगी कागज सं0 5/44 पर उपलब्ध है जिसमे कुछ सामान अभियुक्त अशोक कुमार द्वारा ई–कामर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगाया गया है जिसकी डिटेल केस डायरी पर संलग्न है। अभियुक्त छेदीलाल को अभियुक्त अशोक कुमार के सरकारी आवास के पास से गिरफ्तार किया गया है जिसके सम्बन्ध मे यह साक्ष्य है कि वह घटना से सम्बन्धित अभिलेखीय व अन्य साक्ष्य नष्ट करने अथवा छुपाने के उद्देश्य से अभियुक्त के सरकारी आवास पर आया था।

विवेचक द्वारा मुख्य अभियुक्त अशोक कुमार से जुड़ी विवेचना के दौरान उक्त तीनो अभियुक्तगण के सम्बन्ध मे साक्ष्य एकत्र किये गये है जोकि इस घटना से पूर्व उक्त तीनों अभियुक्तगण के मुख्य अभियुक्त अशोक कुमार के साथ नजदीकी से शामिल होने का तथ्य प्रथम दृष्टया प्रकट करते है। बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि बरामदगी व गिरफ्तारी फर्जी है तथा अभियुक्त छेदीलाल अपनी डयूटी पर मौजूद था। उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य मे यह उल्लेखनीय है कि यह तथ्य साक्ष्य का विषय है जिनका निर्धारण सम्पूर्ण साक्ष्य के उपरान्त ही किया जा सकता है। इस बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था **Sajjan Kumar Vs. Central Bureau of Investigation, JT 2010(10) SC 413,** मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये जाने के सम्बन्ध मे दिशा निर्देश दिये गये है–

> "**(i)** The Judge while considering the question of framing the charges under Section 227 of the Cr.P.C. has the undoubted power to sift and weigh the evidence for the limited purpose of finding out whether or not a prima facie case against the accused has been made out. The test to determine prima facie

case would depend upon the facts of each case.

ii) Where the materials placed before the Court disclose grave suspicion against the accused which has not been properly explained, the Court will be fully justified in framing a charge and proceeding with the trial.

iii) The Court cannot act merely as a Post Office or a mouthpiece of the prosecution but has to consider the broad probabilities of the case, the total effect of the evidence and the documents produced before the Court, any basic infirmities etc. However, at this stage, there cannot be a roving enquiry into the pros and cons of the matter and weigh the evidence as if he was conducting a trial.

iv) If on the basis of the material on record, the Court could form an opinion that the accused might have committed offence, it can frame the charge, though for conviction the conclusion is required to be proved beyond reasonable doubt that the accused has committed the offence.

v) At the time of framing of the charges, the probative value of the material on record cannot be gone into but before framing a charge the Court must apply its judicial mind on the material placed on record and must be satisfied that the commission of offence by the accused was possible.

vi) At the stage of sections 227 and 228, the Court is required to evaluate the material and documents on record with a view to find out if the facts emerging therefrom taken at their face value discloses the existence of all the ingredients constituting the alleged offence. For this limited purpose, sift the evidence as

it cannot be expected even at that initial stage to accept all that the prosecution states as gospel truth even if it is opposed to common sense or the broad probabilities of the case.

vii) If two views are possible and one of them gives rise to suspicion only, as distinguished from grave suspicion, the trial Judge will be empowered to discharge the accused and at this stage, he is not to see whether the trial will end in conviction or acquittal."

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था के प्रकाश मे इस स्तर पर मात्र यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने योग्य प्रथम दृष्टया साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। यह आवश्यक नही कि उक्त साक्ष्य अभियुक्तगण की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है। इस प्रकारण मे विवेचक द्वारा दौरान विवेचन एकत्र किये गये साक्ष्य से घटना से पूर्व अभियुक्तगण का इस घटना मे मुख्य अभियुक्त अशोक के साथ षड्यंत्र मे शामिल होने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 307, 120बी के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण प्रपत्रों के परिशीलन से प्रार्थनापत्र– 8ख व 15ख निरस्त किए जाने योग्य है। अभियुक्तगण शत्रुधन सिंह, छेदीलाल व अनीता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 307, 120बी के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

प्रार्थना पत्र–8ख व 15ख निरस्त किये जाते है। आपत्ति पत्र 17ख व 18ख तदानुसार निस्तारित। पत्रावली वास्ते आरोप पुनः पेश हो ।

(डा0 अनामिका चौहान)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–3,
गोण्डा।

दिनांक 23.05.2022

Digitally signed by Smt Anamika Chauhan
Date: 2022.05.23 17:29:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court